

क्रमांक 3325766/12 / 2617
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष.2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,2551253
Email- encwrdbpl mp@ nic.in,

भोपाल दिनांक 23-11/17

// आदेश //

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1/2/2008/नियम/चार दिनांक 18 जुलाई-2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी-2008 एवं परिपत्र क्र. एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 07.11.09 में निहित समयमान वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्न अमीन को प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान में वेतन बैंड रु 5200-20200/-में रु. 2400 के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति दिनांक	उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
1	श्री सुरेश प्रताप सिंह	08.02.1995	01.04.2006

सामान्य शर्त-

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- 3 उक्त वेतनमान का लाभ संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा के सत्यापन के बाद देय होगा।

Ravi 22/11/17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग भोपाल
भोपाल दिनांक 23-11/2017

पू.क्रमांक 3325766/12 / 2618
प्रतिलिपि-

- 1 मुख्य अभियंता गंगा कछार, जल संसाधन विभाग रीवा,।
- 2 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना।
- 3 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
- 4 बैव मैनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना जल संसाधन विभाग भोपाल।
- 5 संबंधित श्री सुरेश प्रताप सिंह अमीन द्वारा स.क्र.02 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Signature] 22.11.17
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता